कैम्प कार्यालय जनपद न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश निल दिनॉक: 06.05.2020

आ दे श

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्रांक **1091/IV-CPC/e-courts/Allahabad dated 05 May 2020** के अनुक्रम में न्यायालय दिनांक 08.05.2020 से माह मई एवं जून 2020 में प्रातः कालीन व्यवस्था के अनुरूप 07.00 बजे प्रातः से 01.00 बजे अपरान्ह तक खोले जायेगें तथा पीठासीन अधिकारी रोस्टर के अनुसार कार्य करेगें । जिनके निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1– न्यायिक कार्य अभासी न्यायालय (**virtual Courts**) के माध्यम से सम्पन्न किया जायगा। अभासी न्यायालय केन्द्रीय सभागार में स्थित होगें। जिसमें अधिकतम 6 अधिवक्तागण प्रवेश कर सकेंगे।

2– अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण सभी गेट संख्या 2, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित है, से आइडेटिंटी कार्ड दिखाकर, थर्मल स्कीनिंग, मास्क तथा ग्लव्स पहनकर प्रवेश करेंगे। यदि किसी कर्मचारी अथवा अधिवक्ता द्वारा दस्ताने नहीं पहने गये हैं तो वह गेट के पास उपलब्ध नियत स्थान पर साबुन से हाथ धोने के उपरान्त ही प्रवेश करेगा तथा केवल उन्ही अधिवक्तागण को ही न्यायालय में आने की अनुमति होगी, जिनके प्रार्थना पत्र उस दिन सुनवाई के लिऐ नियत होगें । अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण साफ सुथरे परिधान(सोवर ड्रेस) में उपस्थित होगें।

3– सुनवाई / कार्य समाप्त होने के उपरान्त अधिवक्तागण न्यायालय परिसर में अनावश्यक रूप से नहीं रूकेंगे।

4– न्यायालय परिसर में गुटखा , तम्बाखू आदि अनिवार्यतः वर्जित रहेगें। न्यायालय परिसर में थूकना एवं गन्दगी फैलाना वर्जित रहेगा। सभी कर्मचारीगण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी कोविड–19 में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करेगें।

5– न्यायिक अधिकारीगण के लिये प्रकरणों की सुनवाई हेतु निर्धारित अवधि निम्नवत् रहेगी :–

कम सं0	न्यायालय का नाम	सुनवाई का समय
1–	जिला एवं सत्र न्यायाधीश,एटा।	08.00 से 08.30 बजे
2–	विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0एक्ट	08.30 से 08.50 बजे
3–	विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र,एटा।	08.50 से 09.10 बजे
4–	विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट ,एटा।	09.10 से 09.30 बजे
5–	विशेष न्यायाधीश, पौस्को एक्ट ,एटा।	09.30 से 09.50 बजे
6–	विशेष न्यायाधीश, गेंग्स्टर एक्ट ,एटा।	09.50 से 10.10 बजे
7–	विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस एक्ट	10.10 से 10.30 बजे
8–	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।	11.00 से 11.30 बजे
9–	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर,एटा।	11.30 से 12.30 बजे

6– <u>सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय की वेबसाइट तैयार करेगें जिस पर अधिवक्तागण आनलाइन आवेदन कर सकेंगे</u>।

सिस्टम आफीसर को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह अभासी न्यायालय (**virtual Courts**) केन्द्रीय सभागार कक्ष केन्द्रीय नाजिर के माध्यम में तैयार करायें तथा आवेदनों की सुनवाई हेतु सूची में दिया गया समय निर्धारित कर, अपलोड करें।

सिस्टम आफीसर को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह अपना तथा अधीनस्थ कार्यरत 4 कनिष्ठ लिपिकगण का मोबाइल नंबर जिला न्यायालय की वेब साइट पर उपलब्ध करायें। ~~साथ ही~~

7– प्रत्येक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारीगण जो उपरोक्त न्यायालय कक्षों में उपस्थित रहेगें , वह अपना–अपना व्हाट्स एप नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 सिस्टम आफीसर को अविलम्ब उपलब्ध करावें, ताकि जो भी जमानत/अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के लिये नियत किया जावेगा, उनकी प्रतियॉ उनको उपलब्ध कराई जा संकें।

8– जो अधिवक्तागण आनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह उसकी प्रति आनलाइन शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ,

सहायक अभियोजन अधिकारी को , ई–मेल अथवा व्हाट्स एप पर उपलब्ध करायेंगे ताकि ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समयावधि में हो सके।

9– उपरोक्त न्यायालयों में मुंसरिम रीडर , स्टोनोग्राफर/पी0ए0 , लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित आयेगें। यदि पीठासीन अधिकारी उचित समझें तो मुंसरिम रीडर एवं लिपिक में से वैकल्पिक रूप से न्यायालय में कार्य हेतु आदेशित कर सकते हैं।

10– तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिनांक को कार्यालय खुलने के समय अपने– अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं जिन–जिन न्यायालयों दाण्डिक कार्य विचाराधीन है, उन उन पत्रावलियों को लिपिकगण न्यायिक अधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत करेगें। तृतीय कर्मचारीगण मुख्यालय पर जहॉ निवास करते हैं, उसका पता एवं चालित मोबाइल नम्बर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करायेगें इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण निवास पता , एवं चालित मोबाइल नं0 केन्द्रीय नाजिर को उपलब्ध करायेगें जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे तत्काल सम्पर्क किया जा सके।

11– केन्द्रीय नाजिर न्यायालय खुलने से पूर्व सम्पूर्ण परिसर को नियमानुसार सेनेटाइज कराया जाना सुनिश्चित करें।

12– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पैरोकार, एवं कोर्ट मुहर्रिरों की न्यायालयों में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु एवं सुरक्षा से सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था करायेगें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी एटा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, कारागार अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी , अध्य<u>क्ष/सचिव</u> कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन एटा को प्रेषित की जावे तथा न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

तदनुसार सूचित हों।

6.5.2020

(रेणु अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश ,
एटा।

दिनांक 06.05.2020

True Copy
C.A.O. 06/05/2020
Etah Judgeship
ETAH